

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 9/6/08

संचिका सं० 17/ए-3-11/08-729(17) / स्वा० विभाग के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के बयोकेमेस्ट्री विभाग के निम्नांकित कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को वेतनमान 10000-15200/- प्रति माह में विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा एवं वित्त विभाग की सहमति के आलोक में स्तम्भ-3 में अंकित तिथि से कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत दी गयी प्रोन्नति को विनियमित किया जाता है:-

क्र०	चिकित्सक शिक्षक का नाम	सहायक प्रा० के पद नियमित प्रोन्नति की तिथि
1	2	3
1	डा० राजीव रंजन सिन्हा	24.03.04
2	डा० विनोद शंकर सिंह	24.03.04
3	डा० सुदे कुमार सिंह	24.03.04

- * अधिसूचना में वर्णित क्रमांक वरीयता के द्योतक नहीं है ।
- * योगदान के तिथि में भिन्नता अथवा अन्य कोई त्रुटि पाये जाने पर प्रोन्नति / नियमितकरण आदेश तदनुसार प्रभावित होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(जमीरुद्दीन अंसारी)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-17/ए-3-11/08 729(17) /पटना, दिनांक- 9/6/08

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (बै०दा०नि०क्र०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/ संबंधित चिकित्सक शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / राज्य मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/अपर आयुक्त, स्वास्थ्य के निजी सहायक / संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक / प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।